भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2196

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में भूजल का अवैध निष्कर्षण

2196. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध भूजल निष्कर्षण के कारण तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में भूजल स्तर में और अधिक गिरावट आएगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध भूजल निष्कर्षण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) विभिन्न उपयोगों, अनियमित बारिश, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण आदि के लिए स्वच्छ जल की मांग में वृद्धि जैसे कारणों के कारण लगातार जल निकासी के कारण देश के विभिन्न भागों में जल स्तर में गिरावट आ रही है। जलभृतों से भूजल की निकासी का उसके वार्षिक पुनर्भरण से अधिक होना, भूजल स्तर में गिरावट का एक कारण है।

जल, राज्य का विषय होने के कारण भूजल के संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रयास राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

देश में भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए, भूमि जल निकासी के लिए दिशा-निर्देशों के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करता है जिनका समय-समय पर संशोधन होता है।

तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में अवैध भूमि जल निष्कर्षण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी आदेश संख्या 276, लोक निर्माण (आर2) विभाग, दिनांक 17.10.2018 के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूए द्वारा प्रत्येक राजस्व जिला के जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर एवं सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय निदेशकों को भी अधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्हें एनओसी की शर्तों की अनुपालना लागू करने की शक्ति दी गई है।

******